उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-20/2018/ एस-2-478/दस-2018-88क(13)/2017टी0सी0,

लखनऊ :: दिनॉक:: 21 मार्च,2018

कार्यालय-आदेश

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-3 में अंकित पद व स्थान पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान, जहॉं स्थानान्तरित करके तैनात किया गया
1	2	3
1	श्री शंकेश्वर त्रिपाठी, संयुक्त सचिव/वित्त नियंत्रक, विधान सभा सचिवालय, उ0प्र0 लखनऊ।	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2	डा0 गोविन्द जी शुक्ला, निदेशक, वित्त (वर्टिकल हेड) उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, लखनऊ।	संयुक्त सचिव/वित्त नियंत्रक, विधान सभा सचिवालय, उ0प्र0 लखनऊ। (विशेष सचिव के पद को ग्रेड वेतन रू0 8700 में डाउन ग्रेड करते हुए)
3	श्री संत प्रकाश सिंह, वित्त अधिकारी, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	वित्त नियंत्रक, गोरखपुर मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

2- उक्त स्थानान्तरित अधिकारी, अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अपने वर्तमान पद व स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर अपने नवीन तैनाती के पद व स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

हरिश्चन्द्र

उप सचिव।

संख्या-20/2018/एस-2-478(1)/दस-2018-88क(13)/2017टी0सी0,तददिनॉक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा/विधान सभा/नगर विकास/ उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- प्रचार्य, गोरखपुर मेडिकल कलेज, गोरखपुर।

3- कुल सचिव, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,इलाहाबाद।

4- निदेशक, (वर्टिकल हेड) उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, लखनऊ।

5- जिलाधिकारी, गोरखपुर/इलाहाबाद/लखनऊ।

6- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

7- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

8- इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

9- आहरण वितरण अधिकारी, विधान सभा सचिवालय, उ0प्र0 शासन।

10- मुख्य, कोषाधिकारी, आगरा/इलाहाबाद ।

11- संबंधित अधिकारीगण ।

12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।